सं 11014/08/2025- रा.भा(पत्रिका)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
*****

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 18.07.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर प्रकाशित की जा रही स्मारिका के लिए लेख आमंत्रित करने के संबंध में।

14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस 2025 और पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा एक विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके लिए लेख आमंत्रित किए जाते हैं ।

2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है जो सतत एवं समावेशी विकास में सहकारिता की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। 'सहकार से समृद्धि' भारत सरकार द्वारा सहकारी विकास के लिए अपनाया गया राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और ग्रामीण उत्थान को सुनिश्चित करना है। अतः इस स्मारिका के लिए 'सहकार से समृद्धि', 'देश में सहकारिता के सशक्तिकरण के उपाय', 'भारत की परंपरा, विश्व की आवश्यकता: सहकारिता और वसुधैव कुटुंबकम', 'नवभारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका', 'भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका', 'भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास', 'सहकारिता: लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्त माध्यम', 'ग्राम विकास से राष्ट्र निर्माण तक: सहकारिता का सफर', 'सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास' आदि विषयों पर सरल और सहज हिंदी में उत्कृष्ट लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

3. साथ ही, स्मारिका में 'हिंदी और भारतीय भाषाओं में परस्पर समभाव', 'लोकतंत्र में सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में भाषा की भूमिका', 'हिंदी के संवर्धन में गुजरात के मनीषियों का योगदान', 'गांधीनगर की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत', 'हिंदी और गुजराती भाषाओं में साम्यता' आदि विषयों पर भी लेख शामिल किए जाएंगे।

4. स्मारिका में प्रकाशन के लिए लेखों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग का होगा। लेख मंगल फॉन्ट में टाइप किए हुए, व्याकरणिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही तथा लगभग 3000 शब्दों तक हो सकते हैं। शोध से जुड़े लेखों में शब्दों की सीमा 5000 शब्दों तक हो सकती है। कृपया इस आशय का एक स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी संलग्न करें कि लेख मौलिक एवं अप्रकाशित है और इसे अन्यत्र प्रकाशनार्थ नहीं भेजा गया है। कृपया लेख (लेखक के फोटो सहित) दिनांक 08.08.2025 तक patrika-ol@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

5. यह सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राधा

(राधा कत्याल नारंग)
निदेशक (तकनीकी)

प्रतिलिपि: एन आई सी अनुभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।